

प्रेषक,

डा० गिरीश चन्द्र खरे,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएँ,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-5

लखनऊ: दिनांक 15 मार्च, 2019

विषय- जिला कारागार, मऊ के सिद्धदोष बंदी अनिल कुमार राय पुत्र श्री मथुरा राय की दिनांक 05/06-06-2012 को हुई मृत्यु प्रकरण में मा० राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, नई दिल्ली के केस संख्या-18780/24/53/2012-जेसीडी, दिनांक 04-07-2017 के अनुपालन में मृतक बंदी के आश्रितों/निकटस्थ उत्तराधिकारियों को ₹0 1,00,000/- (रूपये एक लाख मात्र) की अंतरिम राहत के भुगतान की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक जिला कारागार, मऊ के सिद्धदोष बंदी अनिल कुमार राय पुत्र श्री मथुरा राय के आश्रित/निकटस्थ उत्तराधिकारी को अंतरिम राहत के रूप में ₹0 1,00,000/- (रूपये एक लाख मात्र) की धनराशि के भुगतान हेतु वित्तीय वर्ष 2017-2018 में शासनादेश संख्या-98/2017/2914जे0/22-5-17-112एचआरसी/2012, दिनांक 23-11-2017 द्वारा प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी थी। अपर महानिरीक्षक (मु०), कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं, उ०प्र०, लखनऊ के पत्र संख्या-6911/मा०अनु०(1)/156-2012, दिनांक 12-03-2019 द्वारा जेल अधीक्षक मऊ के पत्र दिनांक 27-02-2019 जिसके तलांश पर वरिष्ठ कोषधिकारी मऊ द्वारा अंकित किया गया है कि "प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त धनराशि ₹0 1,00,000/- (रूपये एक लाख मात्र) का आहरण वितरण अधिकारी द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 में नहीं किया गया है, की छायाप्रति उपलब्ध कराते हुए उक्त धनराशि ₹0 1,00,000/- (रूपये एक लाख मात्र) को वर्तमान वर्ष 2018-2019 में वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति जारी करने का अनुरोध किया गया है।"

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या-98/2017/2914 जे0/22-5-17-112एचआरसी/2012, दिनांक 23-11-2017 द्वारा प्रदान की गयी प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति संगत वर्ष में धनराशि का आहरण न होने के कारण उक्त स्वीकृति को निरस्त करते हुए श्री राज्यपाल महोदय चालू वित्तीय वर्ष 2018-2019 में जिला कारागार, मऊ के सिद्धदोष बंदी अनिल कुमार राय पुत्र श्री मथुरा राय की दिनांक 05/06-06-2012 को हुई मृत्यु प्रकरण में मा० राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, नई दिल्ली की संस्तुति दिनांक 04-07-2017 के अनुपालन में मृतक बंदी के आश्रितों/निकटस्थ सम्बन्धी को अंतरिम राहत के रूप में ₹0 1,00,000/- (रूपये एक लाख मात्र) की धनराशि के भुगतान की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2--

- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
- 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

- 3- उक्त के निमित्त होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष-2018-2019 के अनुदान संख्या-25 के लेखाशीर्ष-2056 राजस्व लेखा के 101-03 समस्त कारागार के मानक मद संख्या-42 अन्य व्यय (मतदेय) के नामें डाला जायेगा तथा उपलब्ध प्राविधान से वहन किया जायेगा।
- 4- स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण वित्तीय वर्ष 2018-19 में समय से कर लिया जायेगा तथा अहारित धनराशि का उपयोग नियमानुसार ही किया जायेगा इसका दायित्व कारागार मुख्यालय का होगा।
- 5- उक्त धनराशि का भुगतान/उपयोग मा0 राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, नई दिल्ली द्वारा केस में पारित आदेश दिनांक 14-02-2017 में विहित प्रक्रिया के अनुसार किया जायेगा।
- 6- प्रश्नगत प्रकरण में वित्तीय हस्तपुस्तिका में उल्लिखित नियमों तथा समय-समय पर जारी शासन के संगत आदेशों का प्रत्येक स्तर पर कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये तथा जहां आवश्यक हो, वहाँ सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति प्राप्त कर ली जाय।
- 7- महानिरीक्षक, कारागार, उ0प्र0 द्वारा उक्त धनराशि का भुगतान जिला मजिस्ट्रेट, मऊ के माध्यम से यथाशीघ्र सम्बन्धित को कराते हुए उसकी पुष्टिकृत सूचना मा0 राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग/शासन को एक सप्ताह के अन्दर उपलब्ध करायी जायेगी।
- 8- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-यू0ओ0-ए-2-36/दस-2016, दिनांक 16 मार्च, 2016 की सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(डा0 गिरीश चन्द्र खरे)

अनु सचिव।

संख्या:26/2019/690जे0(1)/22-5-19, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- सहायक निबन्धक (विधि), मा0 राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, मानव अधिकार भवन, सी-ब्लाक, जी0पीओ0 कम्प्लेक्स, आईएनए, नई दिल्ली -110023
- 2- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
- 3- जिला मजिस्ट्रेट, मऊ/अधीक्षक, जिला कारागार, मऊ को इस आशय से प्रेषित कि स्वीकृत धनराशि का भुगतान बंदी के आश्रित/निकटस्थ रक्त सम्बन्धी को तत्काल कराते हुये भुगतान का साक्ष्य/पुष्टिकृत सूचना मा0 आयोग/शासन को एक सप्ताह के अंदर उपलब्ध कराने का कष्ट करें। प्रकरण मा0 आयोग द्वारा निर्गत किये गये सम्मन से सम्बन्धित है। अतः आपका व्यक्तिगत ध्यान अपेक्षित है।
- 4- कोषाधिकारी, मऊ।
- 5- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-1 को दोषी पाये गये कार्मिकों से वसूली किये जाने हेतु प्रेषित।
- 6- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-4 एवं अनुसचिव, गृह(मानवाधिकार) अनुभाग-1
- 7- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को सूचनार्थ।
- 8- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(डा0 गिरीश चन्द्र खरे)

अनु सचिव।

- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
- 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।